"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 जुलाई 2009—आषाढ़ 24, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/22/2009/वाक/पांच (33).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में राजपत्र के प्रकाशन दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त नियम में,—

वर्तमान नियम 62 के पश्चात् निम्नानुसार नियम अंतःस्थापित किया जाए :—

62-क : धारा 49 की उपधारा (7) के अधीन अनुतोष के लिये आवेदन—

(1) कोई भी व्यापारी जो धारा 49 की उपधारा (7) के अधीन राहत पाने का इच्छुक है प्रारूप 75 में दो प्रतियों में राज्य सरकार को आवेदन करेगा. ऐसा आवेदन राज्य सरकार द्वारा तभी ग्रहण किया जाएगा जब—

(क) उसके साथ मूल आदेश तथा परवर्ती अपील तथा/या पुनरीक्षण में आदेश की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न हो.

(ख) स्वीकृत देय कर, ब्याज एवं शास्ति का भुगतान कर दिया गया हो और आवेदन के साथ भुगतान का सबूत संलग्न कर दिया गया हो.

(2) आवेदन ग्रहण कर लिया जाने पर, राज्य सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों तथा आधारों पर आयुक्त से रिपोर्ट बुला सकेगी. यदि मामले में तथ्यों और आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार करने पर राज्य सरकार का इस बात से समाधान हो जाता है कि मामले को पुन: खोलने के लिये पर्याप्त आधार है तो वह आयुक्त को धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन फिर से कार्यवाही प्रारंभ करने तथा आवेदक को सुनवाई करने के पश्चात् समुचित आदेश पारित करने के लिये निर्देश दे सकेगी. यदि राज्य सरकार का वैसा समाधान नहीं होता है तो वह आवेदन नामंजूर कर सकेगी और उसकी संसूचना आवेदक को भेज सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

प्रारूप-75
[नियम 62-क (1) देखिए]

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 49 की उपधारा (7) के अधीन अनुतोष दिए जाने हेतु आवेदन

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन,
रायपुर.

आवेदक .... छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक .... और/या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक .... का धारक व्यापारी, जिसके कारबार का स्थान .... में वृत्त .... में स्थित है, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (7) के अधीन अनुतोष दिए जाने हेतु आवेदन करता है.

2. वह आदेश जिसके संबंध में अनुतोष चाहा गया है कि विशिष्टियां निम्नानुसार है—

(क) आदेश पारित करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम ....

(ख) आदेश की तारीख ....

(ग) यदि आदेश, जिसके संबंध में अनुतोष चाहा गया है कर निर्धारण से संबंधित है,—

(एक) कर निर्धारण की कालावधि ....

(दो) निर्धारित कर, अधिरोपित ब्याज और शास्ति—

कर	ब्याज	शास्ति	योग
रुपए	रुपए	रुपए	रुपए ....

(घ) पारित आदेश की विशिष्टियां जहां आदेश कर के निर्धारण और/या शास्ति के अधिरोपण से संबंधित न हो....................

3. अपील और/या पुनरीक्षण में पारित आदेश की विशिष्टियां (प्रत्येक आदेश के लिये अलग-अलग दी जाएंगी) :

(क) अपील/पुनरीक्षण प्राधिकारी का नाम और पदनाम ....

(ख) मामला क्रमांक और आदेश की तारीख ....

(ग) अपील/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिया गया अनुतोष यदि कोई हो ....

....

4. (क) कर निर्धारण/अपील/पुनरीक्षण के आदेश के अनुसार देय कुल कर, ब्याज एवं शास्ति जहां चाहा गया अनुतोष निर्धारण कर और/या अधिरोपित शास्ति से संबंधित हों :

कर	ब्याज	शास्ति	योग
रुपए	रुपए	रुपए	रुपए ....

(ख) भुगतान की गई कुल राशि (चालान क्रमांक तथा तारीख सहित) ....

(ग) आवेदन करने के समय देय कर, ब्याज एवं शास्ति का अतिशेष ....

कर	ब्याज	शास्ति	योग
रुपए	रुपए	रुपए	रुपए ....

(घ) स्वीकृत कर, ब्याज एवं शास्ति (आधार एवं कारण पृथक से दीजिये) :

कर	ब्याज	शास्ति	योग
रुपए	रुपए	रुपए	रुपए ....

(ङ) जमा किये गये स्वीकृत कर, ब्याज एवं शास्ति का विवरण (चालान क्रमांक तथा दिनांक सहित) :

कर	ब्याज	शास्ति	योग
रुपए	रुपए	रुपए	रुपए ....

5. आधार जिन पर अनुतोष चाहा गया है (यहां आधार दीजिये) ....
....
....

6. अत: आवेदक प्रार्थना करता है ....
....

(चाही गई राहत की विशिष्टियां दीजिये) और यह अनुरोध करता है कि राज्य शासन कृपया आयुक्त को छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करने के लिये निर्देशित करे.

स्थान ....
तारीख ....

हस्ताक्षर ....
नाम ....
प्रास्थिति ....

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2009

क्रमांक एफ-10/22/2009/वाक/पांच (33).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/22/2009/वाक/पांच (33), दिनांक 15-07-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 15th July 2009

NOTIFICATION

No. F-10/22/2009/CT /V (33).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely,—

AMENDMENT

In the said Rules,—

After rule 62 the following rule shall be inserted :—

62-A : Application for relief under sub-section (7) of Section 49—

(1) Any dealer seeking relief under sub-section (7) of Section 49 shall make an application in two copies in Form 75 to the State Government. Such application shall be entertained by the State Government when—

(a) It is accompanied by authenticated copies of the original order and subsequent appellate and/or revision order ;

(b) Admitted tax, interest and penalty is paid and the proof of payment is furnished along with the application.

(2) On entertaining the application, the State Government may call for the report from Commissioner on the facts and the grounds stated in the application. If on cosideration of the facts of the case and the report of the Commissioner, the State Government satisfied that there are sufficient grounds for re-opening the case, it may direct the Commissioner to initiate fresh proceeding under sub-section (1) of Section 49 and the pass appropriate order after hearing the applicant. If the State Government is not so satisfied, it shall reject the application and send intimation thereof to the applicant.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

FORM-75
[See rule 62-A (1)]

Application for grant of relief under sub-section (7) of section 49 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

To,

The Secretary
Chhattisgarh Government
Commercial Taxes Department
Mantralaya, D. K. S. Bhawan
Raipur.

The applicant .... a dealer holding registration certificate No. .... Under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and/or registration certificate No. .... under the Central Sales Tax Act, 1956 having his place of business at .... in .... circle hereby apply for grant of relief under the provisions of sub section (7) of section 49 of the said act.

2. The particulars of order in respect of which relief is being sought are as follows :—
   (a) Name & designation of the officer passing order ....
   (b) Date of order ....
   (c) If the order against which relief is sought pertains to an assessment ,—
      (i) Period of assessment ....
      (ii) Amount of tax assessed, imposed interest and penalty—

Tax	Interest	Penalty	Total
Rs.	Rs.	Rs.	Rs. ....

   (d) Particulars of the order passed where the order does not relate to assessment of tax and/or imposition of penalty : ....

3. Particulars of order passed in appeal and/or revision (to be furnished separately for each order) :
   (a) Name & designation of the appellate/revision authority ....
   (b) Case No. and date of order ....
   (c) Relief granted, if any, by the appellate/revision authority ....

4. (a) Total tax, interest and penalty payable as per order of assessment/appeal/revision where relief being sought is in respect of tax assessed, interest and penalty imposed :

Tax	Interest	Penalty	Total
Rs.	Rs.	Rs.	Rs. ....

   (b) Total amount paid (with challan No. and date) ....
   (c) Balance of tax, interest and penalty payable at the time of making the application :

Tax	Interest	Penalty	Total
Rs.	Rs.	Rs.	Rs. ....

   (d) Admitted tax, interest and penalty (provide grounds and reasons separately) :

Tax	Interest	Penalty	Total
Rs.	Rs.	Rs.	Rs. ....

   (e) Particulars of deposit of admitted tax, interest and penalty (with challan No. and date) :

Tax	Interest	Penalty	Total
Rs.	Rs.	Rs.	Rs. ....

5. Grounds on which relief is sought (state the grounds) ....

6. The applicant, therefore, prays ....

(Give particulars of the relief sought) and requests that the State Government may kindly direct the Commissioner to initiate proceedings under sub-section (1) of section 49 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

Place ....
Date ....

Signature ....
Name ....
Status ....

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.